

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आरा।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, नवादा।

पटना, दिनांक- 06/02/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों की स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की कुल अवशेष राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए नागरिक सुविधा मद की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल 50 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी थी। निम्नांकित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं को स्तम्भ- 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा स्तम्भ- 5 के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप 50 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी थी।

2. नगर निगम, आरा द्वारा निम्न तालिका के क्रमांक- 1 पर अंकित योजना के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा के पत्रांक- 3387, दिनांक- 23.11.2016 द्वारा निम्नतालिका के क्रमांक- 2 पर अंकित योजना के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उनके नगर निकाय के लिए कुल ₹37.34 लाख (सैंतीस लाख चौतीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृत योजना का एकरारनामा ₹33.21706 लाख (तैंतीस लाख इक्कीस हजार सात सौ छः रु०) मात्र में हुआ है। साथ ही पूर्व से आवंटित राशि के अतिरिक्त कुल ₹14.54706 लाख (चौदह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र अवशेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध एवं पूर्व से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत निम्नतालिका के स्तम्भ- 7 में अंकित कुल ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात

सौ छः रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-216 दिनांक-06/02/17 के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)						
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	कुल स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित कुल अवशेष/ याचित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	नगर निगम, आरा	आरा नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं०- 44 में अवस्थित पूर्वी अनाईठ नहर घाट का निर्माण कार्य।	82/ 23.12.2014	194.00	97.00	97.00
2.	नगर परिषद्, नवादा	वार्ड नं०-01 नगर बिगहा में वृद्ध आश्रम के दक्षिण सभागार भवन एवं चाहरदिवारी का निर्माण कार्य।	107/ 03.02.2015	37.34	18.67	14.54706
कुल योग				231.34	115.67	111.54706

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र।

3. उक्त आवंटित राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उक्त आवंटित राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) आवंटित कुल राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित कुल राशि ₹97.00 लाख (संतानवे लाख रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2217- शहरी विकास- उपमुख्यशीर्ष -01- राज्य की राजधानी का विकास- लघुशीर्ष -191- नगर निगम को सहायता- उपशीर्ष -0116- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- P 2217011910116 राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 -विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 2 के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित कुल राशि ₹14.54706 लाख (चौदह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित मांग

संख्या-48 बजट शीर्ष 2217-शहरी विकास-उपमुख्य शीर्ष 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास -लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं -नगर परिषद को सहायता- उप शीर्ष-0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें- सहायक अनुदान विपत्र कोड- P 2217031920105 राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 विषय शीर्ष-31 05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-
- योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।
 - संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
 - योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण -लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु-03-17/2015 217 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-06/02/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-06/02/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों की स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की कुल अवशेष राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए नागरिक सुविधा मद की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल 50 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी थी। निम्नांकित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं को स्तम्भ- 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा स्तम्भ- 5 के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप 50 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी थी।

2. नगर निगम, आरा द्वारा निम्न तालिका के क्रमांक- 1 पर अंकित योजना के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा के पत्रांक- 3387, दिनांक- 23.11.2016 द्वारा निम्नतालिका के क्रमांक- 2 पर अंकित योजना के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उनके नगर निकाय के लिए कुल ₹37.34 लाख (सैंतीस लाख चौतीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृत योजना का एकरारनामा ₹33.21706 लाख (तैंतीस लाख इक्कीस हजार सात सौ छः रु०) मात्र में हुआ है। साथ ही पूर्व से आवंटित राशि के अतिरिक्त कुल ₹14.54706 लाख (चौदह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र अवशेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध एवं पूर्व से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आलोक में निम्नतालिका के स्तम्भ- 7 में अंकित कुल ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	कुल स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित कुल अवशेष/ याचित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	नगर निगम, आरा	आरा नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं०- 44 में अवस्थित पूर्वी अनाईठ नहर घाट का निर्माण कार्य।	82/ 23.12.2014	194.00	97.00	97.00

(राशि लाख में)

2.	नगर परिषद्, नवादा	वार्ड नं०-01 नगर बिगहा में वृद्ध आश्रम के दक्षिण सभागार भवन एवं चाहरदिवारी का निर्माण कार्य।	107 / 03.02.2015	37.34	18.67	14.54706
कुल योग				231.34	115.67	111.54706

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) स्वीकृत कुल राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित कुल राशि ₹97.00 लाख (संतानवे लाख रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2217- शहरी विकास- उपमुख्यशीर्ष -01- राज्य की राजधानी का विकास- लघुशीर्ष -191- नगर निगम को सहायता- उपशीर्ष -0116- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- P 2217011910116 राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 -विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹111.54706 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 2 के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित कुल राशि ₹14.54706 लाख (चौदह लाख चौवन हजार सात सौ छः रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित मांग संख्या-48 बजट शीर्ष 2217-शहरी विकास-उपमुख्य शीर्ष 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास -लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं -नगर परिषद को सहायता- उप शीर्ष-0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें- सहायक अनुदान विपत्र कोड- P 2217031920105 राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 विषय शीर्ष-31 05 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

७

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:—
- (i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (iv) योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु-03-17/2015 के पृष्ठ सं०-38...../टि० पर दिनांक-26.12.2016... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-39...../टि० पर दिनांक-02.02.2017... को प्राप्त है।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु-03-17/2015 216 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-06/02/17

प्रतिलिपि:— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव।